ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Director
SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED
PU4601/1, Airen Heights. Scheme No. 54, PU-3, Opposite C-21 Mall, A. B. Road, Indore -452010

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/25108/2017 dated 22 Dec 2021. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC22B001MP123576**
2.	**File No.**	8185/2021
3.	**Project Type**	Expansion
4.	**Category**	B1
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	6.773 Ghursal limestone mine
7.	**Name of Company/Organization**	SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED
8.	**Location of Project**	Madhya Pradesh
9.	**TOR Date**	14 Jun 2017

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 21/03/2022

(e-signed)
Shriman Shukla
Member Secretary
SEIAA - (Madhya Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/25108/2017** - प्रकरण क्र. 8185/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि., निदेशक, श्री राजेश बंसल, निवासी 601, एरेन हाईट्स, पी.यू.–3, स्कीम नं. 54, सी–21 मॉल के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)–452010 द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 7600 से 300000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.773 हेक्टेयर, खसरा 160, 162, 203, 167, 168, 169, ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय–समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. **SIA/MP/MIN/25108/2017** एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 12.02.2021) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल धार के पत्र क्र. 1497 दिनांक 09.03.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 22º23'37.849" से 22º23'54.135" और देशांतर 75º02'50.399" से 75º03'12.830" पर भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 20.08.2021 को लीज़ क्षेत्र ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार में अपर कलेक्टर, जिला धार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 711वीं बैठक दिनांक 09.03.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 543वी बैठक दिनांक 27.01.2022 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि., निदेशक, श्री राजेश बंसल, निवासी 601, एरेन हाईट्स, पी.यू.–3, स्कीम नं. 54, सी–21 मॉल के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)–452010 द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 7600 से 300000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.773 हेक्टेयर, खसरा 160, 162, 203, 167, 168, 169, ग्राम घुरसल, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ. विशिष्ट शर्तें:

1. म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय का आदेश क्र. 3–8/2010/12–1 दिनांक 23.08.2010 एवं आदेश क्र. F-3–8/2010/12–1 दिनांक 03.01.2017 के अनुसार 50 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.08.2060 तक मान्य रहेगी।
2. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4300 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजातियों एंव स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
    - ग्राम घुरसल (घिरावदा), करोंदिया के 07 लड़के एवं 03 लड़कियों को आई.टी.आई मनावर से माईनिंग, मैट, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल ट्रेड से प्रशिक्षण प्रदाय कराया जाये।
    - ग्राम रताईटोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की सम्पूर्ण मरम्मत, 01 किचिन शेड, 02 शौचालय के निर्माण का कार्य पानी की समुचित व्यवस्था, रेन वाटर हारवेसटिंग स्ट्रक्चर एवं 05 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम की स्थापना की जाये।
    - ग्राम घुरसल में 01 किलो मीटर पक्का रोड़ का निर्माण किया जाये।
    - कृषि विभाग के परामर्श से स्वः सहायता समूह के माध्यम से ग्रामवासियों के समूह को उन्नत कृषि एवं उत्पाद के विपणन (छोटा बाजरा) के विषय पर प्रोत्साहन कार्य एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाये।
    - ग्राम घुरसाल के ग्रामवासियों को 7000 पौधों का वितरण किया जाये।
    - ग्राम अमावनी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्वता अनुसार किया जायें।

    साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यो को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(अ) खनन के पूर्व चरण में :

1. प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यक सहमति म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाएगी और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रदर्शित करने हेतु स्थापित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी हथालन) नियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण (यदि आवश्यक हो) प्राप्त किया किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग भी किया जाये।
4. खनन क्षेत्र में यदि कोई पेड़ है तो सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बगैर उसे काटा नहीं जाये।
5. धूल को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा हॉल रोड़ की नियमित रूप से मरम्मत कराई जाये एवं खदान संचालन से पहले परिहवन सड़क को पक्का (टार रोड) बनाया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी/एनओसी प्राप्त की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य शुरू करने से पूर्व ढलान स्थिरता का अध्ययन किया जाये।
9. राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार रिजेक्ट स्टोन की बिक्री की जायेगी।

(ब) खनन के परिचालन चरण में :

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन के लिये ब्लास्टिंग Muffel with Nonel Sysytem अपनाया जाये एवं सेकेंडरी ब्लास्टिंग ना किया जाये, इसके स्थान पर रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाये।
11. लोडिंग मशीन की वर्किंग हाइट बेंच कॉन्फिगरेशन के अनुकूल होनी चाहिए।

12. सॉलिड कार्ट्रिज की जगह स्लरी मिक्स्ड एक्सप्लोसिव (एस.एम.ई.) का इस्तेमाल किया जाये।

13. खदान स्थल पर कोई विस्फोटक नहीं रखा जाये।

14. खदान स्थल पर किसी मध्यवर्ती स्टैकिंग की अनुमति नहीं है।

15. पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई डंप नहीं लगाया जाये।

16. पट्टे के सभी भाग की सीमाओं के चारों ओर घने वृक्षारोपण के माध्यम से साइट की कर्टेनिंग की जाएगी। प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना को खनन के साथ–साथ किया जाये और परियोजन प्रस्तावक द्वारा कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट के साथ पांच साल तक रखरखाव किया जाये। प्रारंभ में, एक वर्ष में के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु साइट की सीमा पर घना वृक्षारोपण विकसित (तीन पंक्तियों में) किया जाये।

17. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जाये।

18. ओवर बर्डन का उपयोग सड़क के रखरखाव और पुनर्भरण के लिए किया जाये। परियोजना प्रस्तावक आईबीएम से अनुमोदित फाइनल क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्षा के दौरान खदान में अत्यधिक पानी भरने पर निचले क्षेत्रों में गाद के जमाव को रोकने के लिये गारलैंड ड्रेन एवं बन्ड की व्यवस्था सेटलिंग टैंक के साथ खनन सीमा के पास एवं डम्प के चारों ओर किया जाये। इसके अतिरिक्त ड्रेन जिनकी साइज 252m X 0.5m X1.0m इसके अतिरिक्त 01 और ड्रेन जिनका आकार 73m X 0.5m X1.0m इसके अलावा अन्य 01 सैंटलिंग टैंक जिनका परिमाप क्रमशः 1639M2 X 5.0 mD प्रस्तावित है।

20. सभी गारलैंड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाएगा और सेटल हुए पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास के लिए किया जाये। नालों और गड्ढों की नियमित सफाई की जाये।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवहन के दौरान धूल के दमन के लिये हेड स्प्रिंकलर प्रदान किया जाये एवं टैंकर्स उपलब्ध कराये जाये।

22. खदान की वर्तमान एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना निम्नवत होगी :–

Items	Existing	SOM Period	Conceptual Period
Total lease area	**6.773 ha.**		
Ultimate depth of mining	2-3m	4m bgl (278m AMSL)	4m bgl (278m AMSL)
Ultimate pit slope	80 degree	45 degree	45 degree
Area under dumps	NIL	-	-
Area under pits	0.1087 ha	2.0609 ha.	2.1599 ha
Infrastructure & Road	0.005 ha.	0.01 ha.	NIL
Garland drain	0.10 ha.	0.30ha.	0.30 ha.
Settling tank	0.10 ha	0.50 ha	0.50 ha
Mineral storage	NIL	NIL	NIL
Plantation	0.40 ha.	0.40 ha.	0.40 ha
Un-worked area	6.059	3.5021 ha	3.4131 ha.
Total	6.773 ha.	6.773 ha.	6.773 ha.
Water body (Settling tank)	0.10 ha.	1.575 ha.	1.575
Area to be reclaimed	Nil	Nil	Nil
Plantation			
Un-worked area	0.40 ha. (300 no)	0.40 ha. (800 no)	0.40 ha. (800 no)
Backfilled area	Nil	Nil	0.0525 ha. (100 nos)
Bench area	Nil	Nil	1.0475 ha. (2100 nos)
Total area for plantation	0.40 ha (300 no.)	0.40 ha (800 no)	1.50 ha. (3000 no.)

23. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए उपयुक्त एवं प्रस्तुत गतिविधियां की जाएंगी तथा इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय पंचायत के समन्वय से किसी भी आवश्यकता के आधार और उचित गतिविधि की जा सकती है।

24. परियोजना प्रस्तावक पर्याप्त सावधानी बरतेंगे ताकि खनन कार्यों के दौरान वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।

25. वित्तीय जवाबदेही के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतगत ली गयी गतिविधियों में किए गए सभी खर्चो के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाये।

26. खनन कार्य के दौरान खदान श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, Ear Muffs आदि प्रदान किये जाये।

(स) परिजोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में:

27. प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजीगत लागत रु. 20.88 लाख रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में रु. 17.002 लाख प्रति वर्ष प्रस्तावित है।

28. कंपनी की पर्यावरण नीति को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और इसे निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से लागू किया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रण के लिए उपशमन उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना के बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग होने के कारणों को वार्षिक विवरणी में संबोधित किया जाये।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वित्तीय जवाबदेही के लिये पर्यावरण प्रबंधन योजना गतिविधियों में किये गये सभी खर्चों के लिये एक अलग से बैंक खाता रखा जाये और यह जानकारी वार्षि पर्यावरण विवरण में प्रदान की जाये।

ब. मानक शर्ते

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये ।
2. SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और आवृत्तियों पर की जाये।
3. ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्ययन में आस–पास के घरों और कृषि क्षेत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये।
4. अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल दिन में ही की जाये।
5. Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगी।
6. खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाये।
7. उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये।

8. खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये। खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में, SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी।

9. लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये।

10. खनन क्षेत्र से निकाले गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये।

11. स्थानीय सड़के, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने खर्च पर किया जायेगा।

12. मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे। भू–टेक्सटाइल मैटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ों और झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये। डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये।

13. जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेंचेस/ गारलैंड ड्रैन्स का निर्माण किया जाये साथ ही नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये. उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी/बारहमासी नाले (यदि कोई) में गाद के जमाव को रोकने हेतु पर पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गुली प्लग्स का निर्माण कराया जाये। नियमित अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये।

14. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करे।

15. ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी/ठोस कचरे का ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सूधार के लिए उपयोग करे। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये।

16. ओवर बर्डन (OB) को केवल निर्धारित डंप साइट (साइटों) पर ही रखा जाए और लम्बे समय तक नहीं रखा जाए। डंप की अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर होना चाहिए और डंप की ढलान 35^0 से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबी डंप को बैकफिल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह के अपवाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ों के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये।

17. पुनर्वासित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकसित न हो जाए। अनुपालन की स्थिति छह मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

18. पौधों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी. एफ.ओ./ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। वृक्षों के अलावा जड़ी–बूटियाँ और झाड़ियाँ भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेगा। खनन क्षेत्र के पुनर्वास सहित वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा।

19. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर

वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होनी चाहिए। खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण / सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें। खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये। खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा।

20. RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ–साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता–निगरानी (एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा। स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए। मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये।

21. परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, S02, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये।

22. खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता कों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये।

23. सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा। हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये। क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये।

24. काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये। HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाऐ और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाए जायें।

25. भूजल स्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा। क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और उसके बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।

26. खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात प्री–मानसून (अप्रैल–मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट–मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रीत किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा।

27. खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत निर्धारित मानकों एवं उसमे हुए समय–समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिचित किया जाये। खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये।

टेलिंग बांध से छोड़े गए पानी, (यदि कोई हा) की नियमित रूप से निगरानी की जाऐ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। यदि भूजल की गुणवत्ता और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा।

29. खनन कार्यो से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य प्रभाव आदि सहित श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की जाये। श्रमिकों पर श्वसन योग्य खनिज धूल के संपर्क में आने के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी और श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाया जाये। खनन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहतियाती उपायों को समय–समय पर चलाया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए।

30. परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

31. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।

32. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

33. खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये।

34. परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनेंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा।

35. निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यो हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यो के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।

36. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवशयक एवं संबधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवशयक होगा।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा

जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।

38. परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाके की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी।

39. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

40. जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श – सुझाव/सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

41. परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MP SEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवशयक होगी।

42. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

43. इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।

44. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।

45. तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूठे/गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

46. इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर, (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी।

47. अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अग्निशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के

लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावको को लागू किया जाएगा।

48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय–समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा। मानदंड प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM, RSPM, SO2, NOx (एम्बिएंट स्तर के साथ–साथ स्टैक उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

49. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म–V में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार), को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला धार (म.प्र.)
5. संभागीय वन अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. जिला खनिज अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shri Shriman Shukla
Member Secretary
Date: 3/21/2022 10:47:47 AM